

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2294]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 20, 2016/भाद्र 29, 1938

No. 2294]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 20, 2016/BHADRA 29, 1938

शहरी विकास मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 सितम्बर, 2016

का.आ. 3006(अ).— यत: दिल्ली के लिए दिल्ली मुख्य योजना में केन्द्र सरकार का अधोलिखित क्षेत्र के संबंध में जिन कितपय संशोधनों का प्रस्ताव था, उन्हें दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा-44 के उपबंधों के अनुसार दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 04.05.2016 की का.आ. 1630(अ) के तहत सार्वजनिक सूचना के रूप में भारत के राजपत्र,असाधारण में प्रकाशित किया गया था जिसमें उक्त नोटिस की तारीख से तीस दिन के अंदर उक्त अधिनियम की धारा 11-क की उप-धारा(3) द्वारा यथा अपेक्षित आपत्तियां/सुझाव आमंत्रित किए गए थे।

- 2. यत: प्रस्तावित संशोधन के संबंध में प्राप्त आपत्तियों / सुझावों पर दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा विचार किया गया; और
- 3. यत: केन्द्र सरकार ने इस मामले के सभी पहलुओं पर ध्यानपूर्वक विचार करने के पश्चात् दिल्ली की मुख्य योजना-2021 में संशोधित करने का निर्णय लिया है।
- 4. अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 11-क की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से उक्त दिल्ली मुख्य योजना-2021 में निम्नलिखित संशोधन करती है:

4497 GI/2016 (1)

संशोधन:

जोन-डी में आने वाले निम्नलिखित क्षेत्र का भू-उपयोग निम्नलिखित विवरणानुसार परिवर्तित किया जाता है:

अवस्थिति	क्षेत्रफल	दि.मु.यो-2021 / क्षे.वि.यो. के अनुसार भूमि उपयोग	जिसमें भूमि उपयोग परिवर्तित किया जाना है	सीमाएं
प्रस्तावित मल्टी स्पेशिएलिटी चरक पालिका अस्पताल, जो मोती बाग, फ्लाई ओवर, नई दिल्ली के निकट रेलवे लाइन के साथ-साथ शांति पथ पर स्थित है।	0.28 (हैक्टेयर) 2800 वर्ग मी.	आवासीय	सार्वजनिक एवं अर्धसार्वजनिक सुविधाएं (पीएस-।: अस्पताल)	उत्तरः रेलवे लाइन, मोती बाग के साथ-साथ दक्षिणः पशु चिकित्सा अस्पताल मोती बाग पूर्वः एन.डी.एम.सी क्वार्टर पूर्वी मोती बाग पश्चिमः फ्लाई ओवर, शांति पथ, मोती बाग के समीप

शर्ते:

यदि पेड़ों को काटने की आवश्यकता है, तो संबंधित एजेंसी से मंजूरी लेनी होगी।

[फा. सं. के-13011/15/2016-डीडी-I] सुनील कुमार,अवर सचिव

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(DELHI DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th September, 2016

S.O.3006(E).—Whereas, certain modifications which the Central Government proposed to make in the Master Plan for Delhi regarding the area mentioned hereunder were published in the Gazette of India, Extraordinary, as Public Notice vide S.O. 1630(E) dated 04.05.2016 by the Delhi Development Authority in accordance with the provisions of Section 44 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) inviting objections/suggestions as required by subsection(3) of Section 11-A of the said Act, within thirty days from the date of said notice.

- 2. Whereas objections/suggestions with regard to the proposed modification have been considered by the Delhi Development Authority; and
- 3. Whereas the Central Government have after carefully considering all aspects of the matter, decided to modify the Master Plan for Delhi-2021.
- 4. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modification in the said Master Plan for Delhi-2021 with effect from the date of Publication of this Notification in the Gazette of India.

MODIFICATION:

The land use of the following area of land falling in Zone-D is changed as per description listed below:

Location	Area	Land use	Land use changed to	Boundaries
		as per		
		MPD-2021/		
		ZDP		
1	2	3	4	5
Proposed Multi-	0.28 (Ha) 2800	Residential	Public & Semi-Public	North: Along Railway Track,
Speciality Charak	sq.m.		Facilities	Moti Bagh
Palika Hospital at			(PS-1: Hospital)	South: Veterinary Hospital,
Shanti Path along				Moti Bagh
Railway track near				East: NDMC Qtrs. East Moti
Moti Bagh, Flyover,				Bagh
New Delhi.				West: Near flyover, Shanti
				Path, Moti Bagh

Condition:

If trees are required to be cut down then clearance from concerned agency shall be taken.

[F.No. K-13011/15/2016-DD.I]

SUNIL KUMAR, Under Secy.